HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/—रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 10-09-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 13-08-2022 को अभियुक्त अकबर पुत्र हसीउलरहमान उर्फ हसीबुलरहमान निवासी चानपुर मसूरिया वार्ड नं0–4 चैनपुर थाना महलगांव जनपद अररिया (बिहार) द्वारा नाबालिग लडकी को बहला–फुसलाकर उसका व्यपहरण कर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 406/2022 धारा 363, 376एबी, 342, 328 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18-10-2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 10-09-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/—रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सौरभ गंगवार एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशांत पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।